भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 939
उत्तर देने की तारीख 27.06.2019

खादी ब्राण्डों को बढ़ावा देना

939. श्रीमती गीताबेन वजेसिंहभाई राठवाः

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यहबताने की कृपा करेंगे किः

(क) संपूर्ण विश्व में खादी को ब्राण्ड बनानेके लिए मंत्रालय क्या प्रयास कर रहा है;

(ख) क्या कुछ देश जैसेकि जर्मनी ब्राण्ड केरूप में खादी का उपयोग कर रहे हैं और उसकेउत्पाद बेच रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है औरऐसी चीजों को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा क्याकदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केबीआईसी) ने संपूर्ण विश्व में खादी को ब्राण्डबनाने और बिक्री के लिए सरकार के सत्ता मेंआने के पश्चात् से कोई विशेष योजना आरंभ कीहै और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री
(श्री नितिन गडकरी)

(क) जी, हाँ। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), के माध्यम से खादी को अंतर्राष्ट्रीय ब्राण्ड बनाने के लिए कई पहल की हैं। की गई पहलों का ब्योरा अनुबंध-Iमें दिया गया है।

(ख) जी, हाँ। जर्मनी में, उत्तम प्राकृतिक उत्पाद (बीएनपी) ने यूरोपियन यूनियन बौद्धिक सम्पदा कार्यालय (ईयूआईपीओ) से श्रेणी-3, 21, 31 के अंतर्गत ट्रेड मार्क ‘‘खादी’’ का पंजीकरण प्राप्त किया है और यह साबुन गंध द्रव (परफ्यूमरी) बालों का तेल इत्यादि जैसे उत्पादों की बिक्री की जा रही है।

(ग) ट्रेड मार्क ‘‘खादी’’ के दुरूपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गएः

i) केवीआईसी ने बीएनपीके विरूद्ध अमान्यकरण आवेदन फाइल किया था और इस मामले में अपीलें फाइल की गई परंतु यह सफल नहीं हो सका।

ii) केवीआईसी ने गैर-उपयोग के आधार पर बीएनपी द्वारा पंजीकृत किए ट्रेड मार्क ‘‘खादी’’ के निरसन के लिए आवेदन फाइल किया है। कार्यवाई लम्बित है।

iii) केवीआईसी के पक्ष में पंजीकृत ट्रेड मार्क ‘‘खादी’’ के मूल्यांकन के लिए बीएनपी के साथ बातचीत हेतु प्रस्ताव भी किया जा रहा है।

iv) इसके अलावा, केवीआईसी ने 13 वर्गों अर्थात् 1, 3, 5, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 35 के अंतर्गत ईयू में नया आवेदन भी फाइल किए हैं।

(घ) जी, नहीं। तथापि, केवीआईसी ने विश्व के 5 देशों अर्थात जर्मनी, यूके, आस्ट्रेलिया, रूस और चीन में ट्रेड मार्क ‘‘खादी’’ के अंतर्गत पहले ही पंजीकरण प्राप्त कर लिया है।

******

अनुबंध-I

दिनांक 27.06.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 939 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

खादी को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:

1. खादी की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा "खादी मार्क" अधिसूचित किया गया है।
2. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के संवर्धन को सहायता देने के लिए केवीआईसी को मानद ईपीसी का दर्जा दिया है। 1088 खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं एवं आरईजीपी/पीएमईजीपी इकाइयों ने निर्यात के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इसकी सदस्यता ली है। केवीआईसी अपनी सहायता प्राप्त संस्थाओं एवं इकाइयों के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है।
3. खादी संस्थाओं के लिए प्रदर्शनियां लगाकर तथा कार्यशाला आयोजित कर विदेशी बाजार में व्यवसाय अवसरों को शक्ति प्रदान करने के लिए भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ (एफआईईओ), विश्व व्यापार केन्द्र (डब्ल्यूटीसी), भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ), भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद् आदि जैसी प्रमुख संस्थाओं के साथ टाईअप का प्रबंध ।
4. एनआईएफटी आदि के साथ नवप्रवर्तनकारी निर्यात गुणता उत्पाद डिजाइन लाने के लिए टाईअप का प्रबंध।
5. केवीआईसी ने विदेश में 10 भारतीय वाणिजिय दूतावास में 15 अगस्त 2018 को 72वें स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के अवसर पर समारोह में भाग लिया/खादी उत्पादों का प्रदर्शन/संवर्धन किया।
6. विदेश में 57 भारतीय दूतावास/मिशनों में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह पर "वैश्विक खादी" के कार्यकलाप के अंतर्गत खादी उत्पादों को प्रदर्शित/संवर्धित किया।
7. "खादी" की विशिष्ट पहचान के लिए केवाआई उत्पादों की निर्यात संभावना को पहचानते हुए वाणिज्य मंत्रालय से खादी उत्पादों की 22 मदों के लिए एक पृथक एचएस कोड हेतु अनुरोध किया गया है।
8. राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, गुजरात और केरल से 10 केवीआई संस्थाओं/इकाइयों सहित दिनांक 12-14 मार्च 2019 की आईटीपीओ द्वारा आयोजित सेंट पीटस बर्ग (रूस) में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया।
9. केवीआईसी ने घरेलू एवं विदेशी बाजार क्षेत्र में खादी उत्पादों को और प्रतिस्पर्धी एवं आकर्षक बनाने के लिए फैशन डिजाइनिंग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फैशन डिजाइनर नियुक्त किया।
10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रौद्योगिकी समिश्रण और/या उन्नयन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता, उनका आधुनिकीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों आदि में भाग लेने के माध्यम से उनके निर्यातों का संवर्धन।

क. अधिकतम 1.50 लाख रु. के अधीन आने-जाने का इकोनोमी हवाई भाड़ा या चुकाया गया वास्तविक भाड़ा, जो भी कम हो।

ख. अधिकतम 1.00 लाख रु. के अधीन स्थान किराया का 100% या चुकाया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो।

ग. 150 अमरीकी डॉलर प्रतिदिनि ड्यूटी भत्ता।

11. विदेशों में केवीआई उत्पादों को प्रदर्शित करने, अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं एवं विक्रेताओं तक पहुँचने तथा व्यापार संधियों को आगे बढ़ाने आदि के लिए विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में भाग लेने हेतु पात्र खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) संस्थाओं को एमपीडीए स्कीम के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

ऐसी भागीदारी के लिए पात्र मदें एवं सहायता का पैमाना निम्नलिखित होगाः

क्र.सं.	पात्र मदें	केवीआई के लिए सहायता का पैमाना
i)	स्थान किराया	अधिकतम 1.25 लाख रु. के अधीन 100% स्थान किराया या चुकाया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो (प्रत्येक भाग लेने वाले उद्यम से एक प्रतिनिधित के लिए)
ii)	हवाई किराया	अधिकतम 1.00 लाख रु. के अधीन इकोनॉमी क्लास हवाई किराया का 100% या चुकाया गया वास्तविक किराया, जो भी कम हो (प्रत्येक भाग लेने वाले उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)